

पक्षधारियों एवं अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर

219

95

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल/सर्किट कोर्ट रोवा & म०प्र०

निगरानी 2543-II-15



Rs. 5/-

215
23.6.15

अरुणेंद्र शेर तनय स्व० कमला प्रसाद निवासी ग्राम - ओवर कौआढान

तहसील - हनुमना, जिला - रोवा & म०प्र० निगरानी कता

श्री. बी. बी. एस. चौहान एड्व.
द्वारा आज दिनांक 23.6.15 के
प्रस्तुत किया गया।

बनाम

अवधेश तनय हिन्दुपती राम,
रामभिलाष तनय हिन्दुपती राम,

3- तरुणेंद्र शेर तनय स्व० कमला प्रसाद,

4- मोतीलाल तनय स्व० अवधेश प्रसाद,

क्रमांक 5- रजिस्टर्ड जेस्ट द्वारा आज को प्राप्त अर्धेन्द्र कुमार उर्फ रिन्कू तनय अवधेश प्रसाद,

क्रमांक 6- त्रिलोकी प्रसाद तनय स्व० कमला प्रसाद,
राजस्व मंडल/सर्किट कोर्ट रोवा उजागर प्रसाद,

8- अनरु प्रसाद, क्रमांक 7 ता 10 के पिता

9- श्री कान्त, देवेन्द्र कुमार,

10- रमाकान्त

11- अजयपाल, 11 ता 13 के पिता रघुनाथ प्रसाद,

12- सतीश चन्द्र,

13- अलोपी प्रसाद,

14- अलोपी प्रसाद तनय राममनोहर,

15- अमरेन्द्र कुमार तनय राममनोहर,

16- विजेन्द्र कुमार, तनय राममनोहर,

17- जिवेन्द्र कुमार तनय राममनोहर

18- मकसूदन प्रसाद तनय बैजनाथ,

2-

(एडवोकेट)

2-

- 19- भोला प्रसाद तनय शिवसेक राम
 - 20- गोकुल नाथ तनय नीलकंठराम,
 - 21- जनार्दन प्रसाद तनय देवीलाल,
 - 22- भैयालाल तनय देवीलाल,
 - 23- रामनरेश तनय नीलकंठ राम,
 - 24- उदयभानु तनय शिवसेक राम,
 - 25- श्रीमती सावित्री पत्नी शीतला प्रसाद,
 - 26- छोटेलाल तनय नीलकंठ राम,
- सभी निवासी । ता 26 ग्राम ओवर कौआढान, तह 0 हनुमता, जिला -
रीवा म०प्र०

--- गैर निगरानीककतगिण

निगरानी विरुद्ध श्री मान कलेक्टर महोदय,
जिला - रीवा म०प्र० के द्वारा निगरानीककतगिण
प्र० 61/अ-6/2010=2011 में पारित आदेश
दिनांक 28-4-2015,

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
सू०रा०स० 1959 ई०।

मान्यवर,


पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि कलेक्टर महोदय, जिला - रीवा म०प्र० द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28-4-2015 अनियमित एवं औचित्यहीन है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समस्त दस्तावेजों को बिना देखे ही आलोच्य आदेश पारित किया है इसलिये आदेश विपर्यस्त है तथा निरर्थक किये जाने योग्य है।
- 3- यह कि नामान्तरण पंजी के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश अपील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R:2543:II/15 जिला- रीवा

अरुणोन्म शेर विरुद्ध अजय नरेश वर्मा

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....<u>रजनीश तिवारी</u>.....अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला.....<u>रीवा</u>..... के प्रकरण क्रमांक.....<u>611/अ-6/2.010-11</u>.....में पारित आदेश दिनांक.....<u>28.04.15</u>.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक.....<u>29.03.19</u>.....को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	